मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 /08/2016

क्रमांक 1892/921/2016/ए-ग्यारह :: मध्यप्रदेश शासन एतद द्वारा मंत्रि-परिषद के आदेश दिनांक 15 जून, 2016 के निर्णय के पालन में मध्यप्रदेश में खाद्य प्रसंस्करणों उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायताएं मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 में जोडी जाने की स्वीकृति संलग्न परिशिष्ट अनुसार प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही. के. बरोनिया)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

ADIC

पृ. क्र. 1893 /921/2016/ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 6 /08/2016

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. भोपाल।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायताएं

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये निम्नानुसार विशिष्ट वित्तीय सहायताएं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को उपलब्ध हो सकेगी :-

2.1 **निवेश संवर्धन सहायता:-** खाद्य प्रसंस्करण इकाई द्वारा विगत वर्ष में वेट और केन्द्रीय कर के रूप में जमा की गई राशि का शत प्रतिशत सेट आफ निवेश संवर्धन सहायता के रूप में इकाई को 10 वर्षो के लिये उपलब्ध कराया जाएगा। निवेश संवर्धन सहायता की अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये निवेश के 200 प्रतिशत राशि के बराबर होगी।

2.2 **विद्युत खपत सहायता :-** खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को वर्तमान विद्युत नीति में रुपये 1.00 प्रति विद्युत इकाई की दर से छूट उपलब्ध है। कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, राईपनिंग चेम्बर, इंडिविज्युअल क्विक फ्रीजिंग इकाईयों द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को पूर्ण विद्युत दर के देयक का भुगतान किये जाने के उपरांत रुपये 1.00 प्रति विद्युत इकाई की दर से प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई जायेगी। यह सहायता उत्पादन/व्यावसायिक परिचालन की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिये देय होगी। सीजनल निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी (LV-4) के उपभोक्ताओं को ऑफ-सीजन में सामान्य टैरिफ से छूट दी गयी है, जिसके अनुसार ऑफ-सीजन में कॉन्ट्रेक्ट डिमांड के 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक रिकार्ड की गयी डिमांड में से जो भी अधिक होगा, उसकी बिलिंग सामान्य टैरिफ पर की जाती है, यह छूट संबंधित श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को देय होगी।

2.3 **प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर प्रतिपूर्ति :-** आधुनिक गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिये वर्तमान तथा नई इकाईयों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हेज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल प्वांईट (एच.ए.सी.सी.पी.), गुड मेन्युफेक्चरिंग प्रेक्टिसेस़ (जी.एम.पी.), आई.एस.ओ. 9000, एगमार्क,

एफ.पी.ओ., गुड लेबोरेट्री प्रेक्टिस (जी.एल.पी.), टोटल क्वालिटी मेनेजमेंट (टी.क्यू.एम.) आदि प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के शुल्क का 50 प्रतिशत रुपये 5.00 लाख की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी ।

2.4 **शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रतिपूर्ति:-** खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में शोध एवं विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये पेटेण्ट प्राप्त करने पर प्रत्येक पेटेण्ट के लिये रुपये 5.00 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। शासकीय शोध संस्थाओं से तकनीक प्राप्त करने पर ऐसे तकनीक हस्तांतरण का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 5.00 लाख जो भी कम हो, की दर से प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2.5 **परिवहन पर प्रतिपूर्ति :-** निर्यात् को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वायुयान एवं सड़क के माध्यम से इनलैंड कंटेनर डिपो/बंदरगाह तक नश्वर उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को प्रसंस्कृत उत्पादों के परिवहन पर व्यय की गई राशि के 30 प्रतिशत की दर से रुपये 10.00 लाख प्रति वर्ष की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी। यह सहायता प्रथम उत्पादन के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी। यह सहायता केवल आटा, चावल और सोया तेल के परिवहन पर उपलब्ध नहीं होगी।

2.6 लागत पूंजी अनुदान

2.6.1 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/तकनीकी उन्नयन हेतु प्लांट मशीनरी एवं भवन में किये गये निवेश का 25 प्रतिशत लागत पूंजी अनुदान उपलब्ध होगा तथा अनुदान की अधिकतम सीमा राशि रुपये 2.5 करोड़ होगी। यह सहायता रुपये 25 करोड़ तक निवेश करने वाली इकाईयों के लिये उपलब्ध होगी परंतु अधिकतम अनुदान रुपये 2.5 करोड़ से अधिक नहीं होगा। यह सहायता गेंहू से आटा बनाने वाली इकाईयों, सोयाबीन तेल उत्पादन इकाईयों और बालाघाट जिले में धान प्रसंस्करण इकाईयों पर लागू नहीं होगी।

2.6.2 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अपशिष्ट के निपटान के लिये केप्टिव पावर जेनेरेशन/ जैविक खाद निर्माण हेतु प्लांट एन्ड मशीनरी की

लागत पर 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सहायता की अधिकतम राशि रुपये 150 लाख होगी।

2.6.3 गैर उद्यानिकी उत्पादों यथा दुग्ध उत्पाद के लिये कोल्ड चेन, वेल्यू एडीशन एवं प्रिजर्वेशन अधोसंरचनाओं में प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश एवं रिफर वेन हेतु किये गये निवेश का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 10 करोड़ अनुदान सहायता उपलब्ध हो सकेगी। यह सहायता वृहद उद्योगों को भी देय होगी। यह लाभ भारत सरकार की वर्तमान योजना में भी देय है। अतः सर्वप्रथम लाभ भारत सरकार की योजना से प्रदान किया जायेगा और भारत सरकार से स्वीकृति नहीं प्राप्त होने की दशा में राज्य सरकार से लाभ प्रदान किया जायेगा।

2.6.4 **प्रोत्साहनात्मक योजना:-**

2.6.4.1 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिये जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं/सेमीनार के आयोजन पर आयोजक संस्था को 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 3 लाख ग्रांट इन एड उपलब्ध कराई जाएगी।

2.6.4.2 खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी संस्था को फेयर/ एक्जीबिशन में लिये गये स्टाल के किराये तथा दो व्यक्तियों के लिये रेल माध्यम से आने-जाने के किराये की राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 3 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फेयर/एक्जीबिशन में भाग लेने हेतु वायुयान से यात्रा करने पर प्रतिभागी को इकोनॉमी क्लास में न्यूनतम किराये की पात्रता होगी किन्तु सहायता की अधिकतम राशि रुपये 3.00 लाख से अधिक नहीं होगी।

3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण एवं कलेक्शन सेन्टर की स्थापना पर 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 1.00 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्शन सेन्टर 1 से

2 एकड़ के क्षेत्र में निर्मित होगा जिसमें तुलाई, सफाई, छंटाई, श्रेणीकरण, पैकिंग, प्री कुलिंग, ड्राई वेयरहाउस आदि सुविधा स्थापित की जा सकेगी।

4. मध्यप्रदेश कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2012 के समाप्त होने के दिनांक से लेकर इस व्यवस्था के लागू होने के दिनांक तक प्राप्त आवेदनों जिसमें निवेशकों द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है, उनमें सहायताएं म.प्र. कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2012 के अनुसार देय होगी।

5. प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक अधोसंरचनाओं की स्थापना पर निम्नानुसार सहायताएं देय होंगी:

5.1 **मेगा फूड पार्क की स्थापना:-**

राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं अधोसंरचनाओं को बेहतर बनाने के लिये भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित मेगा फूड पार्क की स्थापना की योजना के मार्गदर्शी निर्देशो के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा मेगा फूड पार्क की स्थापना पर परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 5 करोड़ सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 इकाईयों की स्थापना पर देय होगी। यह अनुदान सहायता टाप-अप के रूप में देय होगी।

5.2. **फूड पार्क की स्थापना:-**

30 एकड़ भूमि पर फूड पार्क की स्थापना के लिये परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 5 करोड़ सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 इकाईयों की स्थापना पर देय होगी।

5.3. मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिये प्रवर्तकों द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल को स्थानांतरित भूमि में प्रवर्तकों द्वारा भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

5.4. पार्क के विकासकर्ता द्वारा किसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के पक्ष में फूड पार्क के विकसित भूमि अंतरण हेतु निष्पादित लिखित पर निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए छूट रहेगी:

क. पार्क में विकसित कामन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये उपयोग में लायी गई भूमि का समायोजन, इकाई द्वारा मांग की गई भूमि में 30 प्रतिशत की वृद्धि कर किया जाएगा तथा इस प्रकार इकाई के हिस्से में आयी भूमि की क्रय की लिखित पर प्रभार्य शुल्क का समायोजन किया जाएगा, और

ख. यदि समायोजन पर कोई शुल्क संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं हो तो अंतरण के लिये न्यूनतम शुल्क केवल पांच सौ रूपये होगा।

6. **विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार** - खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के उदेश्य से समय-समय पर विज्ञापन प्रकाशित किये जाएगें। जागरूकता शिविर एवं रोड शोज का आयोजन भी किया जावेगा।

7. इस कार्यक्रम के तहत अनुदान एवं सहायता स्वीकृति संबंधी समस्त कार्य उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण संचालनालय द्वारा किया जावेगा।

22-6-2016

(अतुल कुमार मिश्रा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग